अपील सूचना अधिकार संख्या 43/2020 (GCMS 2020/00059) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07.01.2020 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.01.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> **आपके पत्रांक 574 दिनांक 18.10.2018 के सम्बन्ध मे सूचना**
>
> **"चुनाव के दौरान कार्मिक मुख्यालय छोडने हेतु श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नही छोड़ सकता"**
>
> कार्मिक के बिना जिस निर्वाचक अधिकारी के अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर जो कार्यवाही विभागीय व कानूनी कार्यवाही निर्वाचन विभाग द्वारा नियमो के अन्तर्गत की जाती है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

निर्वाचक रजिस्ट्रकरण पदाधिकारी, एस.डी.एम., श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक ईआरओ/गंगा/निर्वा./2019–20/3048 दिनांक 18.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. स.	चाही गई सूचना	विवरण
1.	"आपके पत्रांक 574 दिनांक 18.10.2018 के सम्बन्ध मे सूचना चुनाव के दौरान कार्मिक मुख्यालय छोडने हेतु श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नही छोड़ सकता। "कार्मिक के बिना जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर जो कार्यवाही विभागीय व कानूनी कार्यवाही निर्वाचन विभाग द्वारा नियमो के अन्तर्गत की जाती है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	चुनाव के दौरान कार्मिक द्वारा बिना जिला निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय छोड़ने पर विभागीय कार्यवाही सीसीए नियमो क अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाता है एव धारा 32 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2000 के अन्तर्गत चुनाव डयूटी के दौरान लापरवाही एवं अवेज्ञा होने पर निलम्बित तक किए जा सकने का प्रावधान है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2020 का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2020 को उक्तानुसार दिया जा चुका है, जो सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर